

प्रेषक,

आर०पी०सिंह  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 11 जून, 2021

**विषय-** जनपद बरेली में बरेली-पीलीभीत मार्ग, 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिविल इन्कलेव (एयरपोर्ट) बरेली पर प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र हेतु 33 के०वी लाइन भूमिगत डाले जाने में प्रभावित 0.0714 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के अनुमति के संबंध में

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-2749/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/अद्रर्स/123011/2021, दिनांक 28.06.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. प्रश्नगत प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 यदि प्रभावी है तो प्रस्ताव में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ?
2. यूजर एजेन्सी से सी०ए० किन परिस्थितियों में चार्ज किया जा रहा है ?

भवदीय,

(आर०पी०सिंह)  
अनु सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-2958/11सी- FP/UP//Others/123011/2021 दिनांक, लखनऊ, जून 15, 2021

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिष्ठासी अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्य खण्ड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ